

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

शनिवार, दिनांक 23 सितम्बर, 2017 (आश्विन 1, 1939)

स्थायी आदेश में संशोधन

मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष के स्थायी आदेश के अध्याय-तीन 'प्रश्न और अल्प-सूचना प्रश्न' की कंडिका 7 (2) के अधीन प्रश्नों की सूचना दिये जाने संबंधी परिशिष्ट-1 में स्थापित "प्रश्न का प्ररूप" में विद्यमान शब्दावली "# वरीयता क्रम:" को विलोपित किया जाता है.

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.